**ई-ऑफिस पत्रावली संख्या-9-5002(002)/297/2023**
**संख्या- 182 /2023/नौ-5-2023/001-Com.No.-1755966**

**प्रेषक,**

**कल्याण बनर्जी,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**नगर आयुक्त,**
नगर निगम, अयोध्या
जनपद-अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 08 नवंबर, 2023

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के 'पेयजल हेतु व्यवस्था' के अन्तर्गत जनपद-अयोध्या में आगामी 'दीपोत्सव एवं श्रीजन्म भूमि प्राण-प्रतिष्ठा के दृष्टिगत पेयजलापूर्ति से संबंधित परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष एकमुश्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

**महोदय,**

कृपया उपुर्यक्त विषयक अपने दिनांक रहित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पेयजल हेतु व्यवस्था' के अन्तर्गत जनपद-अयोध्या में आगामी 'दीपोत्सव एवं श्रीजन्म भूमि प्राण-प्रतिष्ठा के दृष्टिगत पेयजलापूर्ति से संबंधित परियोजना हेतु कुल रूपये 485.42 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष एकमुश्त अवमुक्त धनराशि **रूपये 485.42 लाख (रू0 चार करोड़ पचासी लाख बयालीस मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,85,42,000 ( रुपये चार करोड़ पचासी लाख बयालीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
08.11.2023
**( कल्याण बनर्जी ),**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या- 182(1) /2023/नौ-5-2023/001-Com.No.-1755966, तद् दिनांक।**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, अयोध्या।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, अयोध्या, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
08.11.2023
**( कल्याण बनर्जी ),**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

| क्र0सं0 | निकाय का नाम | प्रस्तावित कार्य | आगणित धनराशि | प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर निगम अयोध्या, जनपद–अयोध्या | **Installation of water kiosk** | | |
| | | 1– अयोध्या में 12 नग वाटर कियोस्को के अधिष्ठापन हेतु कमरे का निर्माण (2.80 x 2.40 x 3.10), वाटर कूलर अधिष्ठापन का कार्य जिसकी कूलिंग क्षमता 500 लीटर प्रति घण्टा एवं स्टोरेज क्षमता 200 लीटर मय वाटर प्योरीफायर, 2 किलो वाट विधुत संयोजन एवं पाइप लाइन 25 एम0एम0 एवं 20 एम0एम0 पाइप लाइन एंव 3 टोटी व 1 एच0पी0 समर सेबुल बोरिंग टैक क्षमता 1000 लीटर, टैंक पर एम0एस0 जाली की फिटिंग, मय पाइप लाइन की फिटिंग आदि का कार्य मय लेबर, सामग्री एवं टी0एन0पी0 सहित। (12 नग) | 87.00 | |
| | | 2– अयोध्या में 10 नग वाटर कियोस्को के अधिष्ठापन हेतु कमरे का निर्माण ( 6.0 x 2.80 x3.10), 2 नग वाटर कूलर अधिष्ठापन का कार्य जिसकी कूलिंग क्षमता 500 लीटर प्रति घण्टा एवं स्टोरेज क्षमता 200 लीटर मय वाटर प्योरीफायर, 2 किलो वाट विधुत संयोजन एवं पाइप लाइन 25 एम0एम0 एवं 20 एम0एम0 पाइप लाइन एंव 3 टोटी व 1 एच0पी0 समर सेबुल बोरिंग टैक क्षमता 1000 लीटर, टैंक पर एम0एस0 जाली की फिटिंग, मय पाइप लाइन की फिटिंग आदि का कार्य मय लेबर, सामग्री एवं टी0एन0पी0 सहित। (10 नग) | 88.50 | |
| | | जी0एस0टी0 | 31.59 | |
| | | **योग** | **207.09** | |
| | | Installation of TTSP. | | |
| | | 1– अयोध्या में 50 नग टी0टी0एस0पी0 हेतु 1 एच0पी0 समर सेबुल बोरिंग मय पी0वी0सी0 टैक क्षमता 1000 लीटर, टैंक पर एम0एस0 जाली की फिटिंग, मय प्राइप लाइन की फिटिंग 1 किलो वाट विधुत संयोजन एवं पाइप लाइन 25 एम0एम0 एवं 20 एम0एम0 पाइप लाइन एंव 3 टोटी व 1 एच0पी0 समर सेबुल बोरिंग टैक क्षमता 1000 लीटर, टैंक पर एम0एस0 जाली की फिटिंग, मय पाइप लाइन की फिटिंग आदि का कार्य मय लेबर, सामग्री एवं टी0एन0पी0 सहित। (50 नग) | 76.00 | |
| | | जी0एस0टी0 | 13.68 | |
| | | **योग** | **89.68** | |
| | | **Supply and fixing work related to India Mark-II handpump.** | | |
| | | 1– अयोध्या में 200 नग इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म बनवाने एवं डिसमेन्टलिंग का कार्य मय लेबर, सामग्री, एवं टी0एन0पी0 सहित। (200 नग) | 19.99 | |
| | | 2– अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट सामग्री आपूर्ति का कार्य। (01 नग) | 8.00 | |
| | | 3– अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर लगे हैण्डपम्प की मरम्मत में प्रयुक्त होने वाले डीप बोर इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प कम्पलीट मशीन की | 7.88 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सप्लाई (हेड, 10 नग 12 एमएम थिक कनेक्टिंग रोड, सिलिण्डर, हथ्था) इण्डिया मार्क–।। सहित। (100 नग) | | |
| | | जी0एस0टी0 | 6.45 | |
| | | **योग** | **42.32** | |
| | | **<u>Supply of consumables & non-consumables water supply items.</u>** | | |
| | | 1– अयोध्या में स्थापित नलकूपों में निम्न दबाव (लो वोल्टेज) को दृष्टिगत रखते हेए सर्वामेक 30 के0वी0ए0 क्षमता का स्टेप्लाइजर की सप्लाई एवं अधिष्ठापना का कार्य। (10 नग) | 23.00 | |
| | | 2– अयोध्या में अधिष्ठापित नलकूपों हेतु 20 एच0पी0 स्वीच गेयर एलांग विथ स्टार्टर एण्ड कट्रोल पैनल, केबिल आदि कम्पलीट सेट। (10 नग) | 14.50 | |
| | | 3– अयोध्या में स्थित पेयजलापूर्ति हेतु इलेक्ट्रानिक डोजरों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य कम्पलीट सेट । (50 नग) | 13.00 | |
| | | 4– अयोध्या में 01 नग 15 के0वी0ए0 साइलेन्ट (के एन ओ पी) टाइप डीजल किलास्कर मेक 02–व्हील ड्राइव जनरेटर आपूर्ति का कार्य। | 6.50 | |
| | | 5– अयोध्या में 01 नग 10 के0वी0ए0 साइलेन्ट (के एन ओ पी) टाइप डीजल किलास्कर मेक 02–व्हील ड्राइव जनरेटर आपूर्ति का कार्य। | 5.28 | |
| | | 6– अयोध्या में होण्डा मेक 04 किलो वाट 03 नग पम्पिंग सेट आपूर्ति का कार्य। (03 नग) | 5.54 | |
| | | 7– अयोध्या के अन्तर्गत राजेन्द्र निवास स्थित नलकूप के रिबोरिंग का कार्य। | 32.21 | |
| | | 8– अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर पेयजलापूर्ति व्यवस्था हेतु विभिन्न साइजो कें पाइप लाइन मरम्मत हेतु जी0आई0 फिटिग सामग्री आपूर्ति का कार्य। | 23.98 | |
| | | जी0एस0टी0 | 22.32 | |
| | | **योग** | **146.33** | |
| | | **कुल योग** | **485.42** | **485.42** |

08.11.2023

**( कल्याण बनर्जी ),**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-08/11/2023

**प्रेषण संख्या:-** 182
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-182-2023-9-5-2023-01-CN-1755966
**अनुदान संख्या:-** 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान | 48542000 | 48542000 |
| | | प्रगामी | 48542000 | 48542000 |
| | योग | वर्तमान | 48542000 | 48542000 |
| | | प्रगामी | 48542000 | 48542000 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ पंचासी लाख बयालीस हजार
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ पंचासी लाख बयालीस हजार

(कल्याण बनर्जी)
**संयुक्त सचिव**